

प्रेषक,  
के० के० सिन्हा,  
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
जिलाधिकारी,  
बरेली।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 29 मार्च, 2012

विषय: वर्ष 2011-12 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आपदा राहत निधि के अन्तर्गत तात्कालिक मरम्मत/पुर्नस्थापना हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2011-12 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आपदा राहत निधि के अन्तर्गत तात्कालिक मरम्मत/पुर्नस्थापना हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार कुल धनराशि रु० 9,02,91,000/- (रुपये नौ करोड़ दो लाख इक्यानवे हजार मात्र) नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

| मद का नाम                                                                  | कुल लागत       | अब तक स्वीकृत धनराशि                                                         | अवमुक्त धनराशि    | जिलाधिकारी का संदर्भ                           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/पुर्नस्थापना हेतु | 18,05,82,000/- | शा०सं०-4473/1-10-11-12(34)/11 टी०सी०-1 दि० 24.12.11 द्वारा रु० 9,02,91,000/- | रु० 9,02,91,000/- | 3438(1)/मु०रा० ले०-द०आ०(2011-12) दि० 21.3.2012 |

2 उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत मद में धनराशि शासनादेश संख्या-3253/1-10-2008-12(73)/2008, दिनांक 22 सितम्बर, 2010 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय किया जायेगा। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाय कि आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं- अग्निकाण्ड,

आक्रमण तथा पुनर्निर्माण। सामान्य दुर्घटनाओं-सड़क दुर्घटना, ...  
निमित्त व्यय की जाय। फसाद, विद्युत आदि के कारण घटित घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या-जी0आई0-134 / 1-11-2007-46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 एवं उसके साथ संलग्न भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित एवं अर्ह मानकों मर्दों एवं शासनदेश संख्या-2785/1-10-2011-12(73)/2008 दिनांक 14-10-2011 के अनुसार ही किया जायेगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशियाँ केवल उन्हीं सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनःनिर्माण पर व्यय की जायेगी जो कि 16 जनवरी, 2012 से पूर्व वर्ष 2011 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुई हैं और जिनके बारे में Project Sanction की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गई हैं।

5. वर्ष 2011-12 में बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की परियोजनाओं को 30 दिन व अधिकतम 45 दिन में अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाय तथा नियमानुसार उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय। आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. क्षतिग्रस्त प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

7. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट पर <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2012 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

8. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।



9. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय

( के०के० सिन्हा )

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-693(1)/1-10-2012-33(22)/2012, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-महालेखाकार- प्रथम/आडिट प्रथम, उ० प्र० इलाहाबाद।
- 2-आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र०, लखनऊ।
- 4-वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
- 5-वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन।
- 6-वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बरेली।
- 7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 8-समीक्षा अधिकारी (लेखा), राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9-गार्ड फाइल/संबंधित पत्रावली।

आज्ञा से,

(21)

( राजेन्द्र प्रसाद )

अनु सचिव।